श्री अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्री एस.बी. भट्ट और अन्य

12 दिसंबर, 1960

(पी.बी. गजेन्द्रगढकर, के.एन. वांचू और के.सी. दास गुप्ता, जे.जे.)

मजदूरी का भुगतान- प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार दायरा और सीमा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4), एस.एस. 15, 16 भारत का संविधान अनुच्छेद 226 और 227

अहमदाबाद में कपडा मिलो में श्रमिको की विभिन्न श्रेणियो के लिए मजदूरी तय करने के लिए एक पुरस्कार जिसे मानकीकरण पुरस्कार कहा जाता है, औधोगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया था। हालांकि क्लर्को के वेतन का निपटारा अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन और टेक्सटाइल 221 के बीच एक बाद के समझौते द्वारा किया गया था। श्रमिक संघ, उक्त समझौते के खंड 2 एवं 5 थे।

> “2. इस प्रकार यह समझौता स्थानीय मिलो में कार्यरत सभी क्लर्क श्री अंबिका मिल्स पर लागू होगा, यानि लिपिक कार्य करने वाले व्यक्ति अर्थात जो लिखने, प्रतिलिपि बनाने या

गणना करने का नियमित काम करते है और इसमें कंपाउडर और सहायक कंपाउडर भी षामिल होंगे जो योग्य है और जो स्थानीय मिलो में कार्यरत है।

जो कर्मचारी है उनके लिए एक अलग पैमाना एक पूर्ण क्लर्क से भी निचले पद पर आसीन हो लेकिन एक आपेरेटिव से अधिक की राशि निम्नानुसार प्रदान की जाएगीः- रू 40-3-70 ईजी 4-90. 5- 105”

यह पैमाना टिकट चेकर, कूपन विक्रेता, टेली बॉय, स्केल बॉय, प्रोडक्षन चेकर, थर्ड काउंटर, कपडा मापने वाला या के मामले में लागू होगा। थर्ड काउंटर, फाइन रिपोर्टर, कपडा/यार्न परीक्षक, डिपार्टमेंट स्टोरमैन, कट लुकर और वे अन्य जिन्हें उपर शामिल नही किया गया है, लेकिन जो उचित रूप से उपरोक्त श्रेणी में आ सकते है।

उत्तरदाताओ ने धारा 16 के तहत वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) अपीलकर्ता के विरुद्ध उनके विलंबित वेतन के भुगतान के आदेश के लिए प्राधिकरण की ओर रूख किया। वे अर्ध क्लर्क होने का दावा करते थे, पूर्ण क्लर्क से कम लेकिन ओपेरेटरों से उंचे, और इस तरह समझौते के खंड 5 द्वारा श्षासित होते थे। प्राधिकरण ने उनके खिलाफ निर्णय लिया और अपीलीय प्राधिकरण ने उस खंड 2 को बरकरार रखते हुए

अपने निर्णय की पुश्टि की। समझौते के खंड 2 में वर्णित कि समझौते के खंड 2 ने खंड 5 को प्रयोज्यता को निर्धारित किया और चूकिं उत्तरदायी खंड 2 के भीतर नही आए। इसलिए वे खंड 5 के तहत अपना दावा बरकरार नही रख सके। उच्च न्यायालय के तहत एक आवेदन पर अनुच्छेद 226 व 227 ने विपरीत दृश्टिकोण अपनाया और अधिकारियों के आदेषों को रद्द कर दिया और दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया। इस न्यायालय में अपीलकर्ता मिल्स ने आग्रह किया कि(1) उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 व 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने में और (2) प्राधिकरण ने स्वयं धारा के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था। अधिनियम की धारा 15 अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत उत्तरदाताओं के आवेदन पर विचार करने में माना गया कि दोनों तर्कों को नकारात्मक किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद के पास शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 226 में न केवल क्षेत्राधिकार के अवैध प्रयोग के मामलों में उत्प्रेक्षण रिट जारी करने का प्रावधान है, बल्कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कानून की त्रुटियों को भी सुधारने का प्रावधान है, हालांकि इतना स्पष्ट होने पर भी यह तथ्य की त्रुटियां नही है। हालांकि, कोई भी अचूक परीक्षण निर्धारित नही किया जा सकता है, जब कानून की त्रुटि रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि होती है और यह नियम कि इसे स्वयं स्पष्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड की कोई विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता नही है,

एक संतोशजनक व्यावहरिक परीक्षण है।

अधिकांश मामले, रेक्स बनाम नार्थम्बरलैंड मुआवजा अपील न्यायाधिकरण (1952) के.सी. 338 और नागेन्द्र नाथ बोरी बनाम कमिश्नर ऑफ हिल्स डिवीजन और अपील, असम, (1958) एस.सी.आर. 1340 संदर्भित।

विश्वनाथ तुकाराम बनाम महाप्रबंधक, मध्य रेलवे बी.टी. बॉम्बे (1957) 59 बम. एल 892, विचार किया गया।

दो खंडो पर एक नजर यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि अपील प्राधिकारी ने जिस तरह से उनकी व्याख्या की, उसने कानून की एक स्पष्ट श्रेणी के व्यक्तियों और खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते है जिन्हें उनके खंड 2 के तहत शषासित नही किया जा सका और उनसे निर्धारित परीक्षण को पूरा करने की उम्मीद नही की गई थी।

धारा 15 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत प्राधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में धारा द्वारा विशेष बना दिया गया। अधिनियम के 22 में आवश्यक रूप से इसके अंतग्रत आने वाले दावों के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रश्नों पर विचार करना है और, हालांकि ऐसे प्रश्नों के दायरे को निर्धारित करने के लिए कोई सख्त नियम बनाना अनुचित होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे अनावश्यक रूप से आगे न बढाया जाए या उसके अधिकार क्षेत्र को कम कर दे।

क्या कोई विशेष कर्मचारी आपेरेटिव था या आपेरेटिव के पद से उपर और क्लर्क के नीचे का था और इसलिए अपीलीय समझौता का खंड 5 के भीतर था। समझौते का 60 अधिनियम परिभाषित मजदूरी अधिनियम धारा 15 के तहत प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसलिए इस तर्क में कोई दम नही हो सकता है कि एक कर्मचारी खंड 5 के अंतिम भाग में उल्लिखित अन्य लोगों की श्रेणी में आता है। जिनके साथ कोई पदनाम संलग्न नही था, धारा अधिनियम 15 के तहत आवेदन नही कर सकते थे।

ए.बी. डी कोस्टा बनाम बी.सी. पटेल (1955) 1 एस.सी.आर. 1353, संदर्भित एंथोनी सबस्टिन अल्मेउा बनाम आर.एम.टी. टेलर, (1956) 58 बॉम्बे एल.आर. 899 प्रतिहित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 243/1959 बॉम्बे उच्च न्यायालय के 1958 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 874 में 24 अप्रैल, 1958 को निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एम.सी. सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी जनरल, जी.पी. व्यास और आई.एन. श्रौफ, अपीलकर्ता विट्ठलभाई पटेल के लिए, 8.8 शुक्ला, सी.टी. दारू और ई. उदयरत्नम, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए 1960, 12 दिसम्बर, कोर्ट का फैसला सुनाया गया।

गजेन्द्र गडकर जे.

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील हमारे निर्णय के लिए जो मुख्य

प्रश्न उठाती है। वह मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936) धारा 15 द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त क्षेत्राधिकार की प्रकृति और सीमा से संबंधित है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का अधिनियम 4) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) ऐसे में यह सवाल उठता है कि अपीलकर्ता श्री अंबिका मिल्स कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद में कार्यरत एक कपडा मिल है इसके तीन कर्मचारीयों, जिनका नाम पूनमचंद, श्यामलदास और विष्णुप्रसाद है, इस अधिनियम की धारा के तहत एक आवेदन किया और अपीलकर्ता के खिलाफ उनके विलंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश देने की प्रार्थना की। उत्तरदाताओ के दावे की वैधता पर विवाद करने वाले अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये तर्को की सराहना करने के लिए विवाद की पृष्टभूमि को कुछ विस्तार से बताना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानकीकरण पुरस्कार नामक एक पुरस्कार जो अहमदाबाद में मिल उद्योग को कवर करता था। औधोगिक न्यायाधिकरण द्वारा 21 अप्रैल, 1948 को 1947 के औधोगिक संदर्भ सं0 18 में सुनाया गया था। इस पुरस्कार ने अहमदाबाद में कपडा मिल में काम करने वाले श्रमिको की विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी तय की थी, लेकिन भविशेष के निर्माण के लिए क्लर्को का प्रश्न छोड दिया, जिन ओपेरेटरों का वेतन पुरस्कार द्वारा निर्धारित किया गया था उनके बीच हैड फोल्डर्स का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष विशेष रूप से तर्क दिया गया था। श्रमिक संघ ने आग्रह किया कि उन्हें दिया गया। 36-9-0 बहुत कम था और उनकी ओर से बताया गया

कि उन्होंने वही काम किया जो बम्बई में सिर काटने वालो ने किया था जहां सिर काटने वाले को 52 रूपये दिये जाते थे और एक कट- लुकर को 42-4-0 रूपये दिये जाते थे। दूसरी ओर मिल मालिको का तर्क है कि 36-9-0 रूपये के स्थान पर 34-2-0 रूपये तय किया जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल को इस मुद्दे पर फैसला करना मुश्किल हो गया क्योंकि अहमदाबाद में हैड- फोल्डर्स किस तरह का काम कर रहे थे यह देखने के लिए उसके सामने प्र्याप्त सबूत पेश नही किये गये थे यही कारण है कि ट्रिब्यूनल मुम्बई में हैड-फोल्डर का वेतन कट-लुकर्स के वेतन तक बढाने में असमर्थ था। हालांकि, इसने इन शब्दों उस संबंध में एक महत्वपूर्ण दिषा दीः उसी समय, यह देखा गया, हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि यदि ऐसे व्यक्ति है जो कट-लुकिंग के साथ- साथ फोल्डिंग भी कर रहे है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए मुम्बई में कट-लुकर्स द्वारा अर्जित दर का भुगतान किया जाएगा। इस प्रश्न पर ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले के पैराग्राफ 16 में विचार किया है क्लर्को का प्रश्न जिसका निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा स्थगित कर दिया गया था बाद में इसके द्वारा और उस संबंध एक अबार्ड सुनाया। उक्त पुरस्कार को बाद में 1949 में क्लर्को द्वारा समाप्त कर दियागया था और उसके कारण क्लर्को को देय वेतन के मामलो में अहमदाबाद मिल आनर्स एसोसिएशन और टैक्सटाईल लेबर एसोसिएशन के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता 22 जून 1949 को हुआ था। इस समझौते के खंड 2 और 5 इस अपील के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए

आइए 2 खंड पढे।

"2. यह समझौता स्थानीय मिलो में कार्यरत सभी क्लर्को पर लागू होगा, यानि, लिपिक कार्य करने वाले व्यक्ति, यानि जो लिखने, प्रतिलिपि बनाने या गणना करने का नियमित काम करते है और इस कंपाउडर और सहायक कंपाउडर भी शामिल होगें जो योग्य है और जो स्थानीय मिलो में कार्यरत है।

5. उन कर्मचारीयों के लिए एक अलग पैमाना जो एक पूर्ण क्लर्क की तुलना में कम लेकिन एक आपेरेटिव की तुलना में अधिक पद पर है। नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। रूपये 40-3-70 ईबी- 4-90-5-105।

यह पैमाना टिकिट-बॉय के मामले में लागू होगा, टिकिट-चेकर, कूपन- विक्रेता, टैली-बॉय, स्केल-बॉय, प्रोडक्षन-चेकर, थ्रेड-काउण्टर, कपडा-मापने वाला या यार्ड-काउण्टर, फाइन-रिपोर्टर, कपडा/यार्न-परीक्षक, डिपार्टमेंट, स्टोरमैन, कट-लुकर और वे अन्य जिन्हें शामिल नही किया गया है लेकिन जो उचित रूप से उपरोक्त श्रेणी में आ सकते है। "

इस प्रकार समझौता होने के बाद कटलुकर का काम करने वाले व्यक्तियों को लगने लगा कि वे खंड 5 के लाभ के हकदार है और उस

आधार पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कुछ दावे पेश किये गये। विष्णुप्रसाद और पूनमचंद ने प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया (आवेदन संख्या 39 और 40/1954) और अपीलकर्ता के खिलाफ इस आधार पर विलंबित मजदूरी का दावा किया कि वे 1947 के संदर्भ संख्या 18 में पुरस्कार के अनुच्छेद 16 के तहत उच्च मजदूरी के हकदार थे। यह दावा अपीलार्थी द्वारा विरोध किया गया। अपीलकर्ता ने आग्रह किया कि आवेदन अधिनियम के तहत रखरखाव योग्य नही थे, उन पर मध्यस्थता पुरूस्कार के मद्देनजर रोक लगा दी गई थी, जो उस समय लागू था और आवेदक कटलुकिंग का काम योग्यता के आधार पर ऐसा नही कर रहे थे। इन सभी दलीलो को प्राधिकरण ने खारिज कर दिया। इसने आवेदको द्वारा किये गये कर्तव्यों की जांच की, और यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों आवेदक कटलुकिंग वाले फोल्डर थे, और परिणामस्वरूप वे प्रत्येक रू 42-4-0 प्रतिमाह हकदार थे। दूसरे शब्दों में प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदक उचित अन्य उल्लिखित अवार्ड के पैराग्राफ 16 में निर्दिश्ट श्रेणी के अंतर्गत आते है और इस तरह वे रूपये के बीच अंतर की बसूली के हकदार थे। 36-9-0 रूपये प्रतिमाह जो उनमें से प्रत्येक को भुगतान किया गया और रूपये 42-4-0 जो इनमें से प्रत्येक के बाकि था यह निर्णय 2 सितम्बर 1954 को घोषित किया गया।

11 जुलाई, 1955 को, वर्तमान उत्तरदाताओं ने अधिनियम की धारा 16 के तहत प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया, उन्होंने आग्रह किया कि

वे अर्ध क्लर्क थे और एक पूर्ण क्लर्क से नीचे और एक आपेरेटिव से उंचे पद पर थे, और इस तरह वे समझौते की खंड 5 द्वारा षासित थे और उक्त खंड द्वारा प्रदान की गई वेतन बृद्वि के हकदार थे। अपीलकर्ता द्वारा कई आधारों पर इस दावे का विरोध किया गया। यह आग्रह किया गया था कि वर्तमान आवेदनों को पुननिर्णय द्वारा रोक दिया गया था, प्राधिकरण के पास आवेदना पर विचार करने का कोई विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नही था, और योग्यता के आधार पर उत्तरदाता अर्ध-क्लर्क नही थे जैसा कि समझौते की खंड 5 द्वारा सोचा गया था। इन तर्को पर प्राधिकरण ने चार मुद्दे उठाये। इसने मुद्दे 1 और 2 पर दाताओं के खिलाफ और अपीलकर्ताओ के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि न्यायिक याचिका और उत्तरदाताओं की स्थिति से संबंधित थे। उक्त निश्कर्षो के मद्देनजर उसमें दो मुद्दो पर निर्णय लेना अनावश्यक समझा जो उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राशि की मात्रा से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकार क्षेत्र का प्रश्न, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा अपनी दलील में आग्रह किया गया था, एक मुद्दे के रूप् में नहीं उठाया गया था और प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। पूनमचंद और विष्णुप्रसाद के खिलाफ न्यायिक मामला दर्ज किया गया था। सामलदास ने कोई आवेदन नहीं किया था और इसलिए उनके आवदेन के खिलाफ कोई न्यायिक निर्णय का कोई सवाल नहीं उठता। उनका आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह अर्धक्लर्क होने की स्थिति का

दावा नहीं कर सकते। दो अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ भी यही निष्कर्ष दर्ज किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के समक्ष मुकदमें में पार्टियों ने एक संयुक्त परिसर दायर किया जिसमें पैराग्राफ 02 से 07 में उत्तरदाताओं द्वारा किये गये कर्तव्यों की गणना की गई थी। प्राधिकरण ने विचार किया कि उनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित कार्य करने वाले कर्तव्यों को नियमित कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिखना, नकल करना और गणना नहीं कहा जा सकता। परिणाम यह माना गया कि उत्तरदाता मानकीकरण पुरूस्कार द्वारा शासित थे और बाद के समझौते के अन्तर्गत नहीं आते थे। इस निर्णय को उत्तरदाताओं द्वारा जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई, जो अधिनियम के तहत अपीलिय प्राधिकारी थे। अपीलीय प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर भी विचार करने के लिए कहा गया था। इन्होंने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की और माना कि प्राधिकरण के पास उत्तरदाताओं द्वारा उसके समक्ष किये गये आवेदनों पर विचार करने का अधिकारी क्षेत्र है। पुनर्निर्णय के प्रश्न पर यह प्राधिकरण के निष्कर्ष से सहमत था, और माना कि पूनमचंद और विष्णुप्रसाद द्वारा किये गये दावों को पूर्व न्याय द्वारा रोक दिया गया था। इसी प्रकार, उत्तरदाताओं की स्थिति के प्रश्न पर यह सहमति हुई कि वे अर्धक्लर्क नहीं थे। अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों की स्थिति का निर्धारण करने में अपीलीय प्राधिकारी ने वही परीक्षण लागू किया जो प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया था, और उसने

इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या उत्तरदाताओं द्वारा निभाये गये कर्तव्यों का पालन क्लर्कों द्वारा निभाये जाने वाले कर्तव्यों के समान किया गया था। यह स्पष्ट है कि लागू किये गये परीक्षण समझौते के खंड 02 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए प्रांसगिक परीक्षण है और चूंकि उक्त परीक्षणों के आवेदन से यह निष्कर्ष निकला कि उत्तरदाता खण्ड 02 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने उस खण्ड 05 को माना जो उन पर लागू नहीं था, दूसरे शब्दों में प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी दोनों के निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उन्होंने यह विचार रखा कि खण्ड 02 इस मुद्दे का पूरी तरह से निर्धारक था, और जब तक कि कोई कर्मचारी खण्ड 02 के अन्तर्गत नहीं आता। वह खण्ड 05 सहित समझौते के किसी भी भाग द्वारा कवर होने का दावा नहीं कर सकता इसलिए उत्तरदाताओं की अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज 02 सितम्बर 1954 को कर दिया गया था।

इन अपीलीय निर्णयों को उत्तरदाताओं द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान की अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका दायर करके चुनौति दी गई थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय स्पष्ट रूप से कानून में गलत था। यह इस धारणा पर आगे बढा कि जब तक समझौते की खण्ड 02 संतुष्ट नहीं होती, खण्ड 05 लागू नहीं होगी। यह भी माना गया कि उत्तरदाताओं में से दो के खिलाफ न्यायिक निर्णय के सवाल पर नीचे के अधिकारीयो द्वारा

समवर्ती रूप से दर्ज किया गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत था। इन निश्कर्षो पर उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओ द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, नीचे दिए गए फैसले के आलोक में मामले को कानून के अनुसार निपटाने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा पूर्व प्रेषित अपील दायर की है।

पहला तर्क जो विद्वान अटॉर्नी जनरल ने अपीलकर्ता की ओर से हमारे सामने उठाया है, वह यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने अध्किार क्षेत्र अनुच्छेद 226 व 227 से बढकर किया है। अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप किया है। उनका तर्क है कि उच्चतम स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई त्रुटि कानून में से एक है, लेकिन यह रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि नही है, और उनका तर्क है कि अपील को सुनना उच्च न्यायालय की क्षमता में नही था। अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेक्षण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की प्रकृति ओर सीमा के बारे में।

प्रश्न इस न्यायालय के कई निर्णयों का विशेष वस्तु रहा है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उक्त रिट न केवल क्षेत्राधिकार के अवैध प्रयोग के मामलो में जारी की जा सकती है, बल्कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी जारी की

जा सकती है। इस संबंध में रेक्स बनाम नार्थ अम्बरलैण्ड मुआवजा अपली ट्रिब्यूनल में डेनिग, एल.जे. द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित हो सकता है। द लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने माना है कि रिट क्षेत्राधिकार की अधिकता के सुधार तक है, न कि इसका विस्तार कानून की त्रुटियों के सुधार तक है, और कई न्यायाधीशों ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन लॉर्ड चीफ जस्टिस ने, वर्तमान मामले में, सर्टिओरीरी को उसकी सही स्थिति में बहाल कर दिया है और दिखाया है कि इसका उपयोग कानून की त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है जो रिकॉर्ड पर दिखाई देते है, भले ही वे क्षेत्राधिकार में नही जाते है। इसमें कोई संदेह नही है कि केवल कानून की त्रुटियां है जो रिकॉर्ड के उपर स्पष्ट है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है, और तथ्य की त्रुटियां, हालांकि वे रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हो सकती है, उन्हें ठीक नही किया जा सकता है (देखेः- नागेन्द्र नाथ बोरा बनाम हिल्स डिवीजन और अपील आयुक्त, असम) हमारे लिए वर्तमान अपील में इस पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या एक सर्टिओरीरी इस आधार पर तथ्य की त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी कर सकता है या नही कि विवादित निष्कर्ष तथ्य किसी भी कानूनी सबूत द्वारा समर्थित नही है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि सर्टिओरीरी रिट जारी करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा के संबंध में सही कानूनी स्थिति को बिना किसी कठिनाई के बताया जा कसता है। हालांकि, कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब ऐसा होता है यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण

निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि कानून की किसी त्रुटि को रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि कब कहा जा सकता है। कभी- कभी यह कहा जाता है कि केवल त्रुटियां ही स्वयं स्पष्ट होती है, अर्थात जो गुणो की किसी विस्तृत जांच के बिना स्पष्ट होती है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है, न कि वे जिन्हें विस्तृत तर्क के बाद ही खोजा जा सकता है। एक अर्थ में यह कहना सही होगा कि कानून की एक त्रुटि जिसे उत्प्रेक्षण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। वह स्व-स्पष्ट होना चाहिएः यह कहने का तात्पर्य यह है कि यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि है और उस दृश्टिकोण से, यह परीक्षण किया जा सकता है कि त्रुटि स्वंय स्पष्ट होनी चाहिए और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अधिकांश मामलों में कामकाजी परीक्षण के रूप मे संतोशजनक; लेकिन, जैसा कि वेंकटराम, जे. हरि विष्णु कामथ बनाम सैयद अहमद इशाक में देखा, ''ऐसे मामले होगें जिनमें यह परीक्षण भी विफल हो सकता है क्योंकि न्यायिक राय भी भिन्न होती है, और एक त्रुटि जिस पर विचार किया जा सकता है एक न्यायाधीश के रूप में स्वंय-स्पष्ट होने पर दूसरे द्वारा ऐसा नहीं माना जा सकता है। हालांकि न्यायिक अनुभव से पता चलता है कि तय स्तर सामान्य अनुप्रयोग की एक अचूक परीक्षा देना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह मुश्किल नहीं है कि कानून की आक्षेपित त्रुटि रिकॉर्ड के प्रथम दृश्टया स्पष्ट है या नहीं।

तो फिर रिकॉर्ड में कौन सी त्रुटि स्पष्ट है जिसे उच्च न्यायालय में

वर्तमान मामले में में सर्टिओरीरी रिट जारी करके ठीक किया है उच्च न्यायालय के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रखा गया समझौते के खंड 2 व खंड 5 स्पष्ट रूप से गलत है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त दो खंडों के निर्माण पर विचार किया जो कि खंड 2 निर्धारक खंड था, और जब तक कोई कर्मचारी उक्त खंड की आवश्यकता हो पूरा नहीं करता, वह खंड 5 के लाभ का दावा नहीं कर सकता था। यह तय करने में उच्च न्यायालय को रिट जारी करनी चाहिए थी या नहीं, उक्त दो खंडों को देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई त्रुटि स्पष्ट और स्पष्ट हैं। खंड 2 स्थानीय मिलों में कार्यरत क्लर्कों पर लागू होता है, और इस प्रकार यह उस कार्य की प्रकृति का वर्णन करता है जो उस खंड के अंतर्गत आने वालें व्यक्तियों द्वारा किया जाना आवश्यकता हैं।

दूसरी ओर, खंड 5 स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों के लिए एक अलग पैमाने का प्रावधान करता है जो क्लर्क या संचालक नहीं है; ये कर्मचारी एक आपेरेटिव से ऊंचक पद पर और एक पूर्ण क्लर्क के नीचे पद पर थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 5 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति खण्ड 2 के अंतर्गत नहीं आ सकता और इसलिए उक्त खंड के द्वारा निर्धारित परीक्षण की पूरा करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। खंड 5 के अंतर्गत आने वाले पदनाम द्वारा निर्दिश्ट कर्मचारियों की सूची का एक मात्र अवलोकन दिखाएगा कि परीक्षण का आवेदन जो खंड 2 के तहत

प्रासंगिक है। उनके मामले में पूरी तरह से अनुचित और अप्रासंगिक होगा इसलिए, हमारी राय में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई त्रुटि इतनी स्पष्ट प्रकृति की थी कि उच्च न्यायालय को सर्टिओरीरी रिट जारी करके उक्त त्रुटि को ठीक करना उचित था। विवाद के निर्णय में शामिल प्रश्न दस्तावेज के निर्माण का उतना नहीं है कि जितना कि इसकी स्पष्ट शर्तो को प्रभावी बनाने का है। दस्तावेज यदि खंड 5 स्पष्ट रूप् से खंड 2 के अंतर्गत नही आने वाले कर्मचारीयों के लिए प्रावधान करता है और यदि उस इरादे को खंड 5 के अंतर्गत आने वाले पदनामों की सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है और फिर भी अपीलीय प्राधिकारी उस खंड को खंड 2 के रूप में पढता है। इसे रिकॉर्ड के तौर पर एक त्रुटि पेटेंट माना जाना चाहिए। यह ऐसा मामला नही है जहां दो वैकल्पिक निष्कर्ष संभव है, यह दो प्रावधानों को गलत तरीके से पढने का मामला है, जिसमें उस उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके साथ दो अलग-अलग प्रावधान बनाये गये थे। इसलिए हमारी राय में, विद्वान अटॉर्नी- जनरल द्वारा उठाया गया यह तर्क कि रिट जारी करके उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, उचित नही है।

यह हमें दूसरे, और वास्तव में प्रमुख विवाद की ओर ले जाता है, जिस पर विद्वान अटॉर्नी- जनरल द्वारा हमारे सामने गंभीरता से बहस की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि 3 कर्मचारीयों की ओर प्रतिवादी संघ द्वारा किये गये आवेदन धारा के तहत अक्षम थे। अधिनियम धारा 15 और

प्राधिकरण ने इनका मनोरंजन करने मे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। यह सच है कि इस मुद्दे पर प्राधिकारी के समक्ष विशेष रूप से आग्रह नही किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी और उच्च न्यायालय के समक्ष इस पर बहस की गई है, और यह वह विवाद है जो व्याख्या की समस्या को जन्म देता है। अधिनियम के 15, अपीलकर्ता के लिए यह मामला यह है कि 15 के तहत प्राधिकारी को प्रदत्त क्षेत्राधिकारी एक सीमित क्षेत्राधिकारी है, और इसे किसी भी अनुमानित आधार पर या निहितार्थ के आधार पर विस्तारित करना अनुचित होगा। अधिनियम की योजना स्पष्ट है, अधिनियम का उद्देश्य उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के कुछ वर्गो को मजदूरी के भुगतान को व विनियमित करना था, और इसका उद्देश्य कर्मचारीयों को अवैध कटौती या अनुचित कटौती से उत्पन्न करके दावों के संबंध में त्वरित और प्रभावी उपाय करना है। उन्हें वेतन भुगतान में देरी की गई। उस वस्तु के साथ एस. अधिनियम के 2(अप) में मजदूरी को परिभाषित किया गया है। धारा 4 वेतन अवधि तय करती है। धारा 5 मजदूरी के भुगतान का समय निर्धारित करती है, और धारा 7 कुछ निर्दिश्ट कटौतीयां करने की अनुमति देता है।

धारा 15 कटौतीयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी निर्दिश्ट क्षेत्र के दावों को सुनने और निर्णय लेने के लिए उक्त धारा के तहत नियुक्त प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। मजदूरी, या मजदूरी के भुगतान में देरी से। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, एकमात्र दावे जो

प्राधिकरण द्वारा विचार किये जा सकते है वे वेतन भुगतान में देरी से उत्पन्न होने वाले दावे है। इस प्रकार दावे की इन दो श्रेणीयों से निपटने के लिए प्रदत्त अधिकार क्षेत्र विशिश्ठ है, अधिनियम धारा 22 में प्रावधान है कि जो मामले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते है, उन्हें सामान्य सिविल अदालतो के क्षेत्राधिकारी से बाहर रखा गया है। इस प्रकार एक अर्थ में न्यायशास्त्र। प्राधिकार पर धारा 15 द्वारा सीमित है और दूसरे अर्थ में यह धारा 22 द्वारा निर्धारित अनुसार विशिश्ट है। वेतन के भुगतान में कटौती या देरी से उत्पन्न होने वाले दावों से निपटने में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से उक्त मामलो से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना होगा। इन आकस्मिक प्रश्नों के दायरे को निर्धारित करने में यह ध्यान रखना होगा कि आकस्मिक मामलों पर निर्णय लेने की आड में सीमित क्षेत्राधिकारी अनुचित या अनावश्यक रूप से विस्तारित न हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन आकस्मिक प्रश्नों का दायरा अनावश्यक रूप से सीमित न हो ताकि प्राधिकरण को प्रदत्त सीमित क्षेत्राधिकारी को प्रभावित या खराब किया जा सके। इस प्रश्न पर विचार करते समय तर्कसंगत रूप से आकस्मिक प्रश्नों के रूप में क्या माना जा सकता है, आइए हम धारा 2 (अप) द्वारा निर्धारित मजदूरी की परिभाषा पर वापस लौटे। तब, धारा 2 में अन्य बातों के साथ- साथ यह प्रावधान किया गया था कि मजदूरी का अर्थ धन के रूप में व्यक्त किये जाने वाले सभी पारिश्रमिक से है, जो कि, यदि रोजगार के अनुबंध की शर्ते, व्यक्त

या निहित पूरी की जाती है, तो नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार के संबंध में या ऐसे रोजगार में किये गये कार्य के संबंध देय होगा, और इसमें पूर्वोक्त प्रकृति का कोई भी बोनस या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक शामिल होगा जो इस प्रकार देय होगा और ऐसे व्यक्ति को कारण से देय कोई भी राशि शामिल होगी। उसके रोजगार की समाप्ति के बारे में इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि मजदूरी शब्द व खंड(ए) से (ई) में निर्दिश्ट 5 प्रकार के भुगतान शामिल नही है। अब यदि किसी कर्मचारी द्वारा आरोप के आधार पर दावा किया जाता है तो अवैध कटौती या वेतन भुगतान में कथित देरी के मामलों में कई प्रासांगिक तथ्यों पर विचार किया जाएगा।

क्या आवेदक प्रतिद्वंद्वी का कर्मचारी है? ऐसे प्रश्न के निर्णय को धारा 15 के तहत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना। यदि रोजगार का कोई अनुबंध स्वीकार किया जाता है और इसकी शर्तो के निर्माण के बारे में कोई विवाद है, तो यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आता है। यदि ऐसा है, तो सिद्वांत में क्या अंतर है जहां एक अनुबंध को स्वीकार किया जाता है, इसकी शर्ते विवाद में नही है, और विवाद में एक मात्र बिन्दु यह है कि दो मौजूदा अनुबंधों में से कौनसा प्रश्न में विशेष कर्मचारी पर लागू होता है। यदि अपीलकर्ता का तर्क मान्य होता है तो यह इस विसंति पूर्ण स्थिति को जन्म देगा कि यदि रोजगार का एक सामान्य अनुबंध कर्मचारीयों की विभिन्न श्रेणियों को वेतन के भुगतान का प्रावधान करता है और उक्त श्रेणी का वर्णन कराता है। अपने द्वारा

निर्वहन किये गये कर्तव्यों के संदर्भ में, कोई भी कर्मचारी कभी भी अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदान किये गये त्वरित उपचार द्वारा लाभ नही उठा सकता है। ऐसे में हर बार किसी विशेष कर्मचारी के वेतन निर्धारण से पहले उसे सौंपे गये कर्तव्यों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। हमारी राय में, धारा 15 द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त क्षेत्राधिकारी की सीमाओं पर ऐसी कृत्रिम सीमा लगाना। पूर्णतः अनुचित है वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने यही दृश्टिकोण अपनाया है और हमें इससे अलग होने का कोई कारण नही दिखता है।

धारा 15 के तहत प्राधिकरण को प्रदत्त सीमित क्षेत्राधिकार की प्रकृति और दायरे के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा ए.वी.डी कोस्टा बनाम बी.सी. पटेल के मामलो में विचार किया गया है। उस मामले में अधिनियम की योजना की जांच सिन्हा, जे. द्वारा की गई है, जैसा कि वह तब थे, जिन्होंने बहुमत दृश्टिकोण के लिए बात की थी, और यह माना गया है कि यदि कोई कर्मचारी कहता है कि उसका वेतन 100 रूपये प्रति है वह महीना जो उसे वास्तव में देय होने पर प्राप्त हुआ था, लेकिन वह उच्च मजदूरी का हकदार होगा यदि उच्च मजदूरी योजना पर रखे जाने के उसके दावों को मान्यता दी गई थी और उसे प्रभावी किया गया था, तो यह के दायरे में कोई मामला नही होगा।

प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार, प्राधिकरण के पास यह तय करने का

अधिकार क्षेत्र है कि पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तें वास्तव में क्या थी, यानि वास्तविक मजदूरी निर्धारित करने के लिए लेकिन संभावित मजदूरी के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नही है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि उस मामले में कर्मचारी की शिकायत बाद के चित्रण के अंतर्गत आती है।इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इस निर्णय के अनुसार प्राधिकरण के पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है कि पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तें क्या हैं, और यदि अनुबंध की शर्तें स्वीकार की जाती हैं और एकमात्र विवाद यह है कि कोई विशेष कर्मचारी एक श्रेणी या किसी अन्य के भीतर आता है या नहीं, तो यह मुख्य प्रश्न के निर्णय के लिए आकस्मिक होगा कि अनुबंध की शर्तें क्या हैं, और यह वर्तमान मामले में पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति है। विद्वान महान्यायवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर बहुत दृढ़ता से भरोसा किया है, उस मामले में नियोक्ता और कर्मचारी अलग-अलग अनुबंधों के आधार पर न्यायालय के समक्ष गए और न्यायालय ने कहा कि यह तय करना प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि दो अनुबंधों में से कौन सा अनुबंध क्षेत्र में था, उनमें से कौन सा अस्तित्व में था, और उनमें से किसके तहत नियोक्ता मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि दोनों पक्षों द्वारा दो प्रतिद्वंद्वी अनुबंधों का अनुरोध किया गया था, जिनके अनुसार केवल एक अनुबंध अस्तित्व में था और दूसरा नहीं, और इसलिए निर्णय के लिए सवाल यह

था कि कौन सा अनुबंध वास्तव में अस्तित्व में था।हम इस प्रश्न पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।हम केवल यह इंगित करने के लिए चिंतित हैं कि वर्तमान अपील में विवाद काफी अलग है।दोनों अनुबंध स्वीकार्य रूप से अस्तित्व में हैं।विवाद का एकमात्र बिंदु हैःक्या ये तीन कर्मचारी कट-व्यूअर की श्रेणी में आते हैं या नहीं?

यदि वे ऐसा करते हैं तो आवेदन करते हैं; यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पुरस्कार लागू हो जाएगा। ऐसा होने पर, हम यह नहीं देखते हैं कि अल्मेडा के मामले में निर्णय वास्तव में अपीलकर्ता की सहायता कैसे कर सकता है।इस संबंध में हम बता सकते हैं कि यह कॉम है।इसका मुख्य आधार यह है कि अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में कर्मचारियों का एक वर्ग नहीं है जिसे बॉम्बे की तरह कट-व्यूअर कहा जाता है। अन्य प्रकार के काम के साथ कट देखने का काम ब्लीच-फ़ोल्डर और अन्य फ़ोल्डरों द्वारा किया जाता है।यह प्राधिकरण द्वारा पहले के अवसर पर किया गया निष्कर्ष था जब पूनमचंद और विष्णु प्रसाद ने एस के तहत प्राधिकरण को स्थानांतरित किया था। 15 अधिनियम से विद्वान महान्यायवादी ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि उन तीन श्रमिकों को समान वेतन देना अनुचित है जो केवल कुछ समय के लिए कट-व्यूअर का काम कर रहे हैं और काफी हद तक ब्लीच-फ़ोल्डर का काम कर रहे हैं; हालाँकि, वर्तमान विवाद को निर्धारित करने में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।एकमात्र बिंदु जो निर्णय लेने की मांग

करता है वह यह है कि तीन प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य उन्हें कटौती की श्रेणी में लेता है या नहीं।-सी. एल. के तहत निर्दिष्ट दर्शक।5, और जैसा कि डब्ल्यू. सी. ने पहले ही बताया है, प्राधिकरण ने पहले के एक अवसर पर तीन प्रतिवादी में से दो के पक्ष में पाया है जब उसने माना कि वे कट-लुकिंग करने वाले फ़ोल्डर थे।यदि उक्त निष्कर्ष न्यायिक निर्णय के बराबर है तो यह दो प्रतिवादी के पक्ष में है न कि अपीलार्थी के पक्ष में; इसलिए विद्वान महान्यायवादी ने न्यायिक निर्णय के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता पर गंभीरता से विवाद नहीं किया। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनीता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।